भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3897
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

देश में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन

3897. श्री बलभद्र माझी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोनों की संख्या कितनी है;
(ख) इसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;
(ग) कितने गांवों को अभी भी मोबाइल फोन नेटवर्क से जोड़ा जाना शेष है; और
(घ) इन गांवों के कब तक मोबाइल फोन और इंटरनेट नेटवर्क से जोड़े जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या 115.12 करोड़ है।

(ग) और (घ) देश के 6,44,131 गांवों (भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार) में से, 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 623622 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है। किसी क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सेवा से वंचित आबादी वाले गांवों में मोबाइल कवरेज सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, सरकार देश के ग्रामीण, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगा कर दूरसंचार कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के

तहत विभिन्न स्कीमें/परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है। देश में मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए चल रही डीबीएन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1) सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का सेचुरेशन
2) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण-II
3) सेवा से वंचित गांवों में आकांक्षी जिला परियोजना
4) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण-I उन्नयन परियोजना।
5) पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपसमूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना।

इसके अलावा, देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित भारतनेट परियोजना (जिसे पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष 42,000 ग्राम पंचायतों (लगभग) में नेटवर्क तैयार करने, 10 वर्षों के लिए प्रचालन और रखरखाव एवं उपयोग के लिए कुल 1,39,579 करोड़ रुपये की लागत के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित कर दिया गया है।

*****